an>

Title: Need to make usage of Hindi language in Government offices and departments compulsory.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): भारत के संविधान के भाग-17, राजभाÂÂषा अध्याय-1, संघ की भाषा के अंतर्गत अनुच्छेद-343 संघ की राजभाÂषा के तहत (1) संघ की राजभाष्Â◌ा◌ा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राÂष्ट्रीय रूप होगा । संविधान के उक्त अनुच्छेद खण्ड-1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वष्Â◌ाऩ की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाष्Â◌ा◌ा का प्रयोग किया जाता रहेगा। जिसके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था । इतना ही नहीं, संविधान में स्पष्Âट है कि 15 वष्Â◌ाऩ से पूर्व भी यदि राÂष्ट्रपति चाहेंगे तो संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाÂषा के अतिरिक्त हिन्दी भाÂषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राÂष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत हिन्दी को आधिकारिक रूप से राजभाष्Â◌ा◌ा के रूप में मान्यता दी गई है साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि 15 वÂर्ष तक राजकीय कार्य हेतु हिन्दी का उपयोग किया जाएगा । दुर्भाग्य है कि आज 67 साल बीत जाने पर भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है । हिन्दी हमारी राÂट्रभाÂषा ही नहीं बल्कि देश को एकता में पिरोने का एक सूत्र है । प्राचीन और भारतीय संस्कृति का मूल प्राण देववाणी संस्कृत है और हिन्दी का उद्भव इसी संस्कृत से हुआ है । विश्व में 100 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाÂषा हिन्दी है । आज हिन्दी के उत्थान पर गंभीर प्रयासों का अभाव है । जब जर्मनी विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रबंधन की शिक्षा जर्मन भाष्Â◌ा◌ा में दे सकता है, चीन चीनी भाÂषा में, जापान या रूस अपनी भाÂषा में तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता ? आज जब न्यूयार्क, शिकागो, जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड में हिन्दी की भाÂषा पर कार्य हो रहा है तो हम अपनी ही भाÂषा के प्रति इतने उदासीन क्यों है ?

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि हिन्दी को संविधान की मूल भावना के अनुरूप राजभाÂषा के रूप में स्थापित कर संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए अनिवार्य रूप में प्रयोग में लाए जाने का कानून सुनिश्चित किया जाए ।